आदेश से राहत

02/6/17

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्यायालय में
सार 2017 के मद पर प्रस्तुत हुई। वादी व प्रतिवादी
के अधिवक्ता अनुपस्थित है। प्रतिवादी का जवाब
आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादी का
जवाब हेतु बिना कोई आदेश किया जाता है।
अन्य पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। मुकदमा निराकृत
तक आपाती विपक्षियों के स्थायी की जाती है।
दोनों पक्ष पाबन्द रहे। पत्रावली फिर से हाजर होने
नम्बरी की जावे।

वादी अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा